झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
प्राचार्य का कार्यालय :– औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खरसावाँ
सरायकेला–खरसावाँ रोड,बुरूडीह – 833220
Office e-mail id-principalitikhr@yahoo.in
Office website- www.itikharsawan.co.in
Mobile no- 8877179268

रिक्त सीटों हेतु नामांकन सूचना

1. झारखण्ड सरकार के **SCVT** के अन्तर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खरसावाँ में निदेशालय,नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड रॉची के पत्रांक – 521 दिनांक 13.04.2018 के अनुपालन में षैक्षणिक सत्र 2018–19–2020 में निदेशालय पत्रांक 251 दिनांक :–03.03.2017 के द्वारा जिला स्तर पर गठित कमिटी के द्वारा नियमानुसार नामांकन किया जाएगा। अंकित व्यवसाय में प्रवेष के निमित इच्छुक महिला एवं पुरुष उम्मीदवारों से अनुसूची :–'क' के अनुसार हस्तलिखित/टंकित आवेदन पत्र 30 जून 2018 तक आमंत्रित किए जाते है। अनुसूची :–'क' नामांकन फार्म www.seraikela.nic.in से Download किया जा सकता है अथवा संस्थान से प्राप्त किया जा सकता है।
2. प्रवेष पाने हेतु षैक्षणिक योग्यता DGT द्वारा निर्धारित षैक्षणिक योग्यता के समरुप होगा जो निम्न व्यवसाय के लिए निम्नवत है :–
(क)वेल्डर व्यवसाय के लिए आठवाँ (8वाँ) उत्तीर्ण।
(ख)षेष व्यवसायों के लिए माध्यमिक/10वाँ/समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण 10+2+3 प्रणाली के आधार पर।
(ग)नामांकन प्रवेषिका या समकक्ष परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर नामांकन समिति के समक्ष उपस्थित होने के समय उपलब्ध सीट के आलोक में ओपेन बोर्ड प्रणाली द्वारा मैट्रिक के प्राप्तांक/मेरिट के आधार पर नामांकन नियमानुसार किया जाएगा।
3. **आयु अहर्ता** :– (क) 01 जुलाई 2018 को न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
(ख) सैन्य कार्रवाई में मारे गये सैन्य कर्मियों के विधवाओं के मामले में अधिकतम आयु 45 वर्ष होना चाहिए। आयु के निर्धारण के लिए केवल माध्यमिक/10वीं समकक्ष परीक्षा के मूल /औपबंधिक प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही वैद्य होगी।
4. प्रशिक्षण के लिए षारीरिक योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवारों को लिखित आष्वासन देना होगा कि वे प्रशिक्षण की अवधि में अनुषासन का पालन करेगें। प्रशिक्षण समाप्त होने पूर्व प्रशिक्षण कभी भंग नही करेगें।
5. **षुल्क** :– आवेदन पत्र के साथ आवेदन पंजियन षुल्क के रुप में 100/– (सौ रुपये) मात्र का पोस्टल आर्डर देना होगा। जो प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खरसावाँ के पदनाम से भुगतेय होगा। किसी भी षर्त पर यह राषि नगद राषि के रुप में स्वीकार नहीं की जायेगी तथा न ही लौटायी जायेगी। पोस्टल आर्डर एक माह के अन्दर का होना चाहिए। अनुलग्नक के रुप में सभी प्रमाण पत्रों के अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ दो स्वपता लिखित लिफाफा (डाक टिकट सहित) समर्पित करना होगा। अपना पूर्ण भरा आवेदन पत्र प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खरसावाँ,पोस्ट–बुरुडीह, थाना–खरसावाँ, जिला–सरायकेला–खरसावाँ, पिन–833220 के पते पर निबंधित डाक से भेजे।
6. प्रवेष करने के समय प्रशिक्षणर्थियों को 50/–(पचास रुपये) मात्र अवधान धन (caution money) राषि के रुप में जमा करना होगा। अगर छात्रों के द्वारा संस्थान का कोई सामान खो जाने या सामान को जानबुझकर तोड दिये जाने पर उसकी कीमत कौषन मनी से काट ली जायगी तथा अन्य उचित कार्यवाई की जायेगी। उत्तीर्ण करने के बाद छात्र/छात्रा एक वर्ष के अन्दर कौषन मनी वापस नहीं लेते है तो इसे जब्त कर लिया जायेगा और सरकारी खजाना में जमा कर दिया जायगा।संस्थान में प्रशिक्षण के लिए कोई षुल्क नहीं लिया जायगा।
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछडा वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को कल्यान विभाग से नियमानुसार छात्रवृत्ति मिल सकती है।
8. **आरक्षण अहर्ताः**–(क) आरक्षण का प्रावधान कार्मिक, प्रषासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक–07/नीति (आरक्षण) –06/2001 का0–5886/रॉची, दिनांक –21/09/2011 के अनुसार रहेगा।
(ख)मेरिट से चुने गये आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों के विरुद्व समायोजित नहीं किया जायगा बल्कि खुली गुणा–गुण कोटी के पचास प्रतिषत रिक्तियों के विरुद्व माना जायेगा।

(ग)औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान, खरसावॉ में स्वीकृत सीटों के 30 प्रतिषत सीट सुपरन्यूमरी है, अर्थात कुल सीट = स्वीकृत सीट + स्वीकृत सीट का 30 प्रतिषत अतिरिक्त सीट।
(घ)सुपरन्यूमरी सीट की एक–एक सीट दिब्यांग एवं भूतपूर्व सैनिकों (किसी भी वर्ग)के आश्रितों के लिए आरक्षित है।
(ड)बाकी बचे सुपरन्यूमरी सीट में अनुसूचित जन जाति/ अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

नामांकन हेतु व्यवसायवार विवरणी :– औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान,खरसावॉ।

कमांक	व्यवसाय का नाम	कुल युनिट	प्रषिक्षण अवधि
01	इलेक्ट्रीषियन	1	दो वर्षीय
02	फिटर	1	दो वर्षीय
03	टर्नर	1	दो वर्षीय
04	ड्राफ्ट्समैन मैकानिक	1	दो वर्षीय
05	मैकानिक मोटर व्हेकिल	1	दो वर्षीय
06	इलेक्ट्रोनिक्स मैकानिक	1	दो वर्षीय
07	सूचना प्रावैधिकी	1	दो वर्षीय
08	कोपा	1	एक वर्षीय
09	मैकानिक डीजल	1	एक वर्षीय
10	वेल्डर	1	एक वर्षीय

9. **आवासीय अहर्ता :–** औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान खरसावाँ में वे ही उम्मीदवार नामांकन ले सकते है जो झारखण्ड राज्य के निवासी है या स्थानीय निवासी के श्रेणी में आते हैं। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रषासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–14/स्थानीयता नीति–14–03/2016 का 4650 दिनांक–02 जून 2016 (संकल्प संख्या–3198,दिनांक–18.04.2016) में स्थानीय निवासी को परिभाषित किया गया है। उम्मीवारों को अपने दावे के समर्थन में सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल/उपायुक्त) द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
10. **जाति आधारित अहर्ता:–**नामांकन में झारखण्ड सरकार द्वारा लागु अद्यतन आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा अरक्षित सीटों पर दावा करने वाले उम्मीदवारों को समक्ष पदाधिकारी (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल/उपायुक्त) द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

नोडल पदाधिकारी
सह
जिला नियोजन पदाधिकारी
औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान, खरसावाँ।